


20/3/24

पत्रावली पेश हुई प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित ~~हुए~~  
 नहीं हुए। प्रार्थी अधिवक्ता को नामफायमी ~~अ~~ विपक्ष के  
 वारिशानों की करवाने हेतु अन्तिम अवसर दिया ~~गया~~ है।  
 बावजूद इसके नामफायमी नहीं करवाई गई है तथा नाही  
 आज न्यायालय समय समाप्ति तक उपस्थित ~~हो~~ हुए न्यायालय  
 द्वारा कक-कक कर तीन बार आवाज लगाई गई। बावजूद  
 इसके कोई उपस्थित नहीं हुआ है जिससे जाहिर होगा है  
 कि प्रार्थी अपने वाद के प्रति गंभीर नहीं है एवं नाही  
 प्रकरण को दायरे चलाना चाहता है।

अतः अन्तर्गत आदेश 9 नियम 8 के तहत अदम  
 दामरी अदम पेशी में खारिज किया जाता है। निर्णय सरे-  
 इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैलल शुमार होकर नम्बर  
 से कम हो।

  
 (रिया डानी)  
 IAS

